

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)

मिसल नं.

12/प्रा.पत्र/2023(ऑनलाईन 2023/24)

तारीख दायरा

24.1.2023

तारीख निर्णय

13.02.2024

1. श्री देवीलाल आठ नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जरो की थडी तहठ तालेड़ा
2. श्री मोहनलाल आठ प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो की थडी तहठ तालेड़ा
3. गोपाल आठ नारायण जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो की थडी तहठ तालेड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जय नयब तहसीलदार डाबी तहठ तालेड़ा जिला बूंदी
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेड़ा

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251-क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषक:-

अभिभाषक प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सौलंकी

अभिभाषक अप्रार्थी :- पेटोकार सरकार

## निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 19/322 रकबा 2.5576 हैठ वाके ग्राम थडी पटवार मण्डल डाबी तहसील तालेड़ा में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का मार्ग अप्रार्थी की भूमि खठसंठ 20 रकबा 17.5876 हैक्टेठ वाके ग्राम थडी में से होकर जाता है इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का कोई दुसरा रास्ता नहीं है प्रार्थी उक्त नियमो के अन्तर्गत अनुमति एवं राजस्व भू-अभिलेखो में रास्ता दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करता है कि अप्रार्थी की भूमि खठसंठ 20 रकबा 17.5876 हैक्टेठ वाके ग्राम थडी पटवार हल्का डाबी में होकर रास्ते की याचना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जय पत्रांक 484 दिनांक 11.08.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौके पर प्रार्थी द्वारा अपने खाते की भूमि खठसंठ 19/322 रकबा 2.5576 हैठ पर प्रस्तावित रास्ता खठसंठ 20 किस्म गैठमुठझाड झक्कड वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज रेकार्ड है, से होकर पहुंचा जाता है जो पहुंच मार्ग हेतु न्यूनतम है व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खठसंठ 20 रकबा 17.5876 मे से 0.2925 हैक्टेठ भूमि से होकर प्रस्तावित रास्ता निकलता है, जो 9 मीटर चौडा व 225 मीटर लम्बाई होगी, रास्ते में कुल प्रस्तावित रकबा 0.2925 हैक्टेठ है।

बहस उमय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दीराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नहीं होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

अप्रार्थी पेटोकार सरकार ने दीराने बहस निवेदन किया कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खठसंठ 23 किस्म गैठमुठ रास्ता से होते हुए खठसंठ 20 किस्म गैठमुठ झाड झक्कड वाले वन (चारागाह हेतु) से होकर पहुंचता है। श्रीमान विशिष्ट


8/1/24

सचिव, राजस्व (मुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक: 6(137) राज-3/2022 जयपुर दिनांक 11.02.2022 से अवगत कराया है कि डी.बी.सि.रि. (पी.आई.एल.) याचिका सं0 326/2022 श्री राजस्थान गौ-सेवा समिति जरिये महामंत्री श्री रघुनाथ सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य सक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज गौघर भूमि की स्थिति में फेरबदल पर रोक लगाई गई है जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डीबीसि.रि.(पीआईएल) याचिका सं0 326/2022 में निर्णय पारित होने के उपरान्त निर्णय अनुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदत्त है। अतः चरागाह भूमि से रास्ते हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव को निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अधोपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है किन्तु प्रस्तावित भूमि की किस्म गौमु० झाड झक्कड वाले वन (चारागाह हेतु) होने से डी.बी.सि.रि. (पी.आई.एल.) याचिका सं0 326/2022 श्री राजस्थान गौ-सेवा समिति जरिये महामंत्री श्री रघुनाथ सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य सक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज गौघर भूमि की स्थिति में फेरबदल पर रोक लगाई गई है। जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डीबीसि.रि.(पीआईएल) याचिका सं0 326/2022 में निर्णय पारित होने के उपरान्त निर्णय अनुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदत्त होने से प्रस्तावित ख०सं० 20 वाके ग्राम थडी से रास्ता सृजित नहीं किया सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वरिज किया जाता है।  
यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

  
(हरबिन्दर डी सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
तालेड़ा